

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

दिनांक: १-12-2022

पत्र संख्या : ५२५०/महिला श्रम-०८/२०१०

—:कार्यालय ज्ञाप:—

शासनादेश संख्या—श्रम अनुभाग सं०—1/81166/22/VII-1/22-11(ESI)/2022, दिनांक : 05.12.2022 एवं भारत सरकार के असाधारण गजट सं०—18, दिनांक : 23.04.2013 (सं०—14, 2013) द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 एवं सपठित उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून के शासनादेश सं०—2197/XVII(4)/2014/90/04 दिनांक: 29.12.2014 के क्रम में, अधिनियम की धारा—4(1) के अनुसार कार्यस्थल पर 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन निम्नवत किया जाता है—

1. श्री विपिन कुमार, उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी। अध्यक्ष।
2. श्रीमती कंचन झांडारी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेख व्यू कार्टेज, नैनीताल। सदस्य।
3. श्रीमती पूनम भट्ट, अधिवक्ता, हाईडिल गेट, हल्द्वानी। सदस्य।
4. श्री कमल जोशी, सहायक श्रम आयुक्त, हल्द्वानी। सदस्य।
5. श्रीमती पूनम काण्डपाल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी (प्रभारी), हल्द्वानी। सदस्य।

उक्तानुसार 'आंतरिक शिकायत समिति' विभागीय कार्मिकों से कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत की जांच, उक्त वर्णित अधिनियम एवं शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार करेगी, एवं आख्या अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। उक्त समिति को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप भत्ते देय होंगे।

o/c

(दीप्ति सिंह)

✓ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।

दिनांकित

पत्र संख्या : ५२५० / उक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।

2—अपर श्रम आयुक्त, प्रभारी उत्तराखण्ड, देहरादून।

3—उपरोक्तानुसार समिति के सदस्यगण।

4—समस्त उप श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के अनुसार कि यदि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के आलोक में प्रकरण को निस्तारण हेतु, उक्त गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5—गार्ड फाईल।

o/c

(दीप्ति सिंह)

✓ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।